

न्यायालय सत्र न्यायाधीश (रमाबाई नगर) कानपुर देहात ।

जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 1322/2026

CNR No.UPRN01-003433-2026

1. मुकेश कुमार पुत्र मान सिंह
2. संजय पुत्र रामसजीवन
3. आजाद पुत्र मानसिंह

निवासीगण ग्राम संग्रामपुर, थाना शिवली, जनपद कानपुर देहात।

...आवेदकगण/अभियुक्तगण,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी,

मुकदमा अपराध सं०-235/2024

धारा-191(2), 115(2), 352, 125, 351(2), 324(2), 110

बी०एन०एस०

थाना-शिवली, कानपुर देहात।

आदेश

1. मुकदमा अपराध सं०-235/2024, धारा-191(2), 115(2), 352, 125, 351(2), 324(2), 110 बी०एन०एस० थाना-शिवली, कानपुर देहात के मामले में आवेदकगण/अभियुक्तगण मुकेश कुमार, संजय व आजाद की तरफ से जमानत हेतु यह जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
2. अभियोजन के कथनानुसार वादी मुकदमा विनोद के द्वारा इस आशय की तहरीर संबंधित थाने पर दी गयी कि वह दिनांक-30.07.2024 को समय करीब दस बजकर तीस मिनट पर अपने पुत्र विनय के साथ खेत पर काम करने घर जा रहा था। जैसे गांव के पास वह अपने साथ सुरेश के दरवाजे पर पहुँचा तो वैसे ही पहले से घात लगाकर बैठे ज्ञान सिंह, मुकेश कुमार, संजय, आजाद, धर्मेन्द्र आदि धारदार हथियार व अवैध असलहों से लैस होकर मारपीट करने लगे। वह व उसका पुत्र अपनी जान बचाकर सुरेश के घर में घुस गये। ये दबंग लोग धारदार हथियार लेकर घर के अन्दर घुस कर मारपीट कर घायल कर दिया और कुछ अज्ञात लोग ईट पत्थर सुरेश के घर पर चलाने लगे। उसका इन दबंग लोग से रास्ते को लेकर पूर्व विवाद था। इसी बात को लेकर रंजिश मानते थे। जबकि पूर्व तहसील प्रशासन ने इन लोगों के खिलाफ ग्राम समाज की सम्पत्तियाँ लेखपाल ने मुकदमा भी दर्ज कराया था। उसे व उसके पुत्र विनय, शिवपाल, खुशी, सुमित्रा, राम सेवक, विशाल को गंभीर चोटें आयी हैं। घर का पूरा सामान तोड़ फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया है। जाँच कराकर दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर आवश्यक कार्यवाही की याचना की गयी।
3. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
4. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मामले में बाद में धारा-110 बी०एन०एस० की बढ़ोत्तरी की गयी है। सही बात यह है कि वादी ने अभियुक्त के भाई फूल सिंह के साथ मारपीट किया था, जिसका मुकदमा अ०सं०-236/2024, धारा-115(2), 352, 351(2), 105 बी०एन०एस० के तहत दर्ज कराया गया है तथा फूल सिंह की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने पर मामले में धारा-105 बी०एन०एस० की बढ़ोत्तरी की गयी है, जो घटना का क्रास वर्जन है। चुटहल सुमित्रा देवी, शिवपाल, रामसेवक, योगेन्द्र कुमार, विनोद यादव आदि को साधारण चोटें आयी हैं तथा वादी विनोद के सी०टी०स्कैन में सर पर लीनियर फ्रैक्चर होना पाया गया है। डाक्टर ने यह नहीं बताया कि इससे जान का खतरा हो सकता है। चुटहलों को धारदार हथियार व अवैध असलहों की चोट आना नहीं बताया गया है। घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। वादी उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, मना करने पर अजब सिंह, संजय, प्रमोद, फूल सिंह, सोनम व मुकेश आदि लोगों को बुरी तरह से चुटहल कर दिया था। किसके हाथ में कौन सा हथियार था, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह उनका प्रथम जमानत आवेदन है। अभियुक्तगण दिनांक-05.06.2026 से जेल में हैं। उक्त आधारों पर जमानत दिये जाने की याचना की गयी।
5. अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने मौखिक रूप से जमानत प्रार्थनापत्र का प्रबल विरोध एवं खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के द्वारा अन्य सह

अभियुक्तगण के साथ मिलकर धारदार हथियार से वादी मुकदमा विनोद कुमार उसके पुत्र विनय, शिवपाल, खुशी, सुमित्रा, राम सेवक, विशाल को मारपीट कर चोटे पहुँचायी गयी तथा मौके पर ईट पत्थर चलाया गया है। वादी के सी०टी०स्कैन में सर पर लीनियर फ्रैक्चर पाया गया है। आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। तदनुसार उन्होंने अपराध की प्रकृति को गम्भीर होना बताकर जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

6. अभियोजन प्रपत्रों के परिशीलन से ज्ञात है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण के द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर धारदार हथियार से वादी मुकदमा विनोद कुमार उसके पुत्र विनय, शिवपाल, खुशी, सुमित्रा, राम सेवक, विशाल को मारपीट कर चोटे पहुँचायी गयी तथा मौके पर ईट पत्थर चलाया गया है। मामले में एफ०आई०आर० धारा-191(2), 115(2), 352, 351(2), 125, 324(2) बी०एन०एस० में दर्ज कराया गया। मामले में डा०सुरभि खत्री ने अपने बयान में सुमित्रा देवी, शिवपाल, योगेन्द्र कुमार के साधारण चोटे आना बताया गया है तथा विनय यादव व रामसेवक की चोटों को देखते हुये रेफर किये जाने का कथन किया है। चुटहल/वादी विनोद के सिर के सी०टी०स्कैन में लीनियर फ्रैक्चर पाया गया है तथा चोटे ग्रीवियस प्रकृति की बतायी गयी है, जिसके आधार पर मामले में धारा-110 बी०एन०एस० की बढ़ोत्तरी की गयी है। इस मामले में अभियुक्त पक्ष की तरफ से मामले का क्रास केस अ०सं०-236/2024 दर्ज होने का तथ्य रखा गया है। घटना में कौन सा पक्ष मारपीट में अग्रसरण था, इसका निर्धारण जमानत के स्तर पर नहीं किया जा सकता है। अभियुक्तगण का अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्तगण दिनांक-05.06.2026 से जेल में है। अभियुक्तगण को आरोपित आरोपों में धारा-110 बी०एन०एस० में अधिकतम सात वर्ष की सजा का प्रावधान है।

7. अतएव मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सतेन्द्र कुमार अंटिल बनाम सेन्टर ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन व अन्य (2021) 10 एस.सी.सी. 773 के परिप्रेक्ष्य में जारी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए मामले के गुण-दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. तदनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मु०-50,000/-50,000/-रुपये (पचास-पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इतनी ही राशि के एक-एक प्रतिभू, संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुसार निष्पादित करने पर, उन्हें जमानत पर रिहा किया जाये। अभियुक्तगण के द्वारा निम्न आशय का अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत किया जाये-

1- आवेदकगण इस आशय का वचनपत्र दाखिल करेंगे कि दौरान विवेचना वे विवेचना में सहयोग करेंगे तथा विवेचना उपरान्त दौरान विचारण न्यायालय साक्षियों को डराये धमकायेंगे नहीं और न ही साक्ष्य को प्रभावित करेंगे।

2- आवेदकगण दौरान विचारण साक्ष्य की तिथि पर साक्षियों के न्यायालय में उपस्थित रहने पर वे स्थगन की मांग नहीं करेंगे तथा इस शर्त का उल्लंघन होने पर इसे जमानत का दुरुपयोग माना जायेगा तथा न्यायालय उनके विरुद्ध विधिनुसार उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगी।

3- आवेदकगण विचारण प्रारम्भ होने के समय, आरोप विरचन एवं बी०एन०एस० की धारा-351 के अन्तर्गत पृच्छा अंकित करने की तिथि एवं निर्णय की तिथि पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेंगे। यदि न्यायालय किसी भी स्तर पर यह पाती है कि आवेदकगण जानबूझकर अथवा बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित हो रहे हैं तो उस स्थिति में न्यायालय जमानत के व्यतिक्रम का मामला मानते हुए आवेदकगण के विरुद्ध विधिनुसार कार्यवाही करेगी।

दिनांक-22.06.2026

(रविन्द्र सिंह)

सत्र न्यायाधीश

स्माबाई नगर (कानपुर देहात)।

J.O. Code-UP02003